

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1819

दिनांक 17/12/2021

प्रार्थीगण :-

1.टीकमाराम 2.खेमाराम 3.हरखाराम पि.  
प्रहलादराम 4.वालीदेवी पत्नि प्रहलादराम  
जातियान जाट, निवासी खारिया डेर  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.बांकाराम पुत्र तिलोकाराम 2.हीराराम पुत्र  
गंगाराम 3.लिखमाराम 4.करनाराम  
5.किरताराम पि.हरजीराम 6.धापू पत्नि  
हरजीराम, जाति जाट, निवासी खारिया डेर  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 89/2021

दिनांक : 17.12.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड के मौजा खारिया डेर के खेत खसरा सं. 402 रकबा 00.13 बीघा, खसरा सं. 532/404 रकबा 18.00 बीघा, खसरा सं. 533/404 रकबा 56.01 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 1820 to 1823  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण टीकमाराम
3. विप्रार्थीगण बांकाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

दिनांक 17/12/2021



उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन